न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अभिषेक खन्ना, आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
22/2022	दावा 53, 88 RTA	11.02.2022	16.03.2022

गोविन्द पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)
—वादी—

बनाम

1. राकेश पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा कृषि भूमि विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी वादी
2. अधिवक्ता श्री सिकन्दर खान् प्रतिवादी सं. 1

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि कृषि भूमि ख.नं. 431/106 तादादी 1.0623 हैक्टेयर व ख.नं. 433/136 तादादी 1.9602 हैक्टेयर वाके रोही देपालसर तहसील व जिला चूरू वादी व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1/2 हिस्सा है। उक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी अपने अपने हिस्सों पर काश्त कर रहे हैं परन्तु वादगत कृषि भूमि शामलात में रहने से भूमि की अच्छी व हल्की किस्म को लेकर व काश्त के मध्य लूंग, पाला आदि को लेकर पक्षकारान के मध्य तनाजा बना रहता है। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वादी अपने हिस्से की खातेदारी कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन करवा कर खाता व लगान अलग कायम करवाये जिस हेतु कृषि भूमि के विभाजन का यह दावा मय एनेक्जर 'ए' पेश किया जा रहा है जिसमें वादी ने वादगत कृषि भूमि के मौके पर अपने कब्जा काश्त को दर्शित किया है।

वादगत कृषि भूमि का आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाने के लिए वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को कहा व कहलवाया कि साथ चलकर वादी के हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि का कब्जा व लगान अलग [illegible] प्रतिवादी सं. 1 टालमटोल करता रहा व आखिरकार दिनांक 01.02.2022 को प्रतिवा[illegible] ऐसा करने से साफ—साफ इन्कार कर दिया। लिहाजा तारीख दिनांक 01.02.2022 से [illegible] हैतुक वादी को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने [illegible] उक्त कृषि भूमि रहन नहीं होने से बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया है। दावा कृषि भूमि के विभाजन का है तथा भूमि [illegible] होने के कारण दावा हाजा में राजस्थान सरकार को पक्षकार प्रतिवादी सं. 2 बनाया गया है [illegible] दावा में राज्य सरकार के हितों पर प्रतिकूल असर डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए दावा से पूर्व धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। निवास स्थान फेरीकेन व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वादगत कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त हैं तथा दावा मुकर्ररशुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावेः—

(क) जरिये डिक्री के कृषि भूमि खसरा नम्बर ख.नं. 431/106 तादादी 1.0623 हैक्टेयर व ख.नं. 433/136 तादादी 1.9602 हैक्टेयर वाके रोही देपालसर तहसील व जिला चूरू में वादी का सम्पूर्ण कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा की कब्जे काश्त की कृषि भूमि का खाता विभाजन एनेक्जर 'ए' के अनुसार अलग कायम किया जावे और वादी के भाग पर प्रतिवादी सं. 1 कब्जा, काश्त न करे व अन्य फैल या तर्क फैल ना करे जिससे वादी के कब्जे काश्त व हक अधिकार पर विपरीत असर पड़े।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी सं. 1 से दिलवाया जावे।

(ग) अन्य न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या हो जावे, वादी को दिलाया जावे।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री सिकन्दर खान एडवोकेट ने वकालतनामा एवं इकबालदावा मय काउण्टर क्लेम दो प्रतियों में पेश किया जिसकी नकल वकील वादी को दी गई।

प्रतिवादी सं. 1 ने अपने जवाबदावा में दावा की मद सं. 1 से 5 एवं उपमद अनुतोष क को स्वीकार करते हुए मद सं. 8 में अंकित किया कि मुझ प्रतिवादी के हिस्से की कृषि भूमि का भी मौका पर मेरे कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन कर खाता व लगान अलग कायम किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने प्रतिदावा में अंकित किया कि प्रतिवादी सं. 1 वादगत कृषि भूमि में 1/2 हिस्से का सह खातेदार व काबिज काश्तकार है इसलिए प्रतिवादी सम्पूर्ण कृषि भूमि में से अपने 1/2 हिस्से का अलग खाता व लगान कायम करवाने का हकदार है। यदि वादी का कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन किया जाता है तो प्रतिवादी सं. 1 का भी खाता विभाजन मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार कर दिया जावे।

अतः लिखित कथन व जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में निम्न प्रकार से डिक्री आज्ञाप्त की जावेः—

(क) यह कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 431/106 तादादी 1.0623 हैक्टेयर व ख.नं. 433/136 तादादी 1.9602 हैक्टेयर वाके रोही देपालसर तहसील व जिला चूरू में वादी एनेक्जर 'ए' के अनुसार दक्षिण में व प्रतिवादी सं. 1 का उत्तर में कब्जा काश्त है, का अलग खाता विभाजन कर खाता व लगान अलग कायम किया जावे।

(ख) वादी को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह प्रतिवादी सं. 1 के बनने वाले हिस्से, कब्जे व काश्त की कृषि भूमि में किसी प्रकार की बाधा या व्यवधान उत्पन्न न करें, ना ही मौका पर किसी भी तरह से नुकसान करे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो उचित एवं हितकर प्रतिवादी सं. 1 के हो अथवा दौराने वाद हो जावे, वह सब भी प्रदान किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वकील वादी ने कथन किया कि हम प्रतिवादी सं. 1 के प्रतिदावा का जवाब नहीं देना चाहते। हमें प्रतिवादी द्वारा चाहे गये अनुतोष पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम का अवलोकन किया गया जिसमें प्रतिवादी ने वादी द्वारा दावा में चाहे गये अनुतोष पर कोई आपत्ति नहीं की है तथा प्रतिदावा के माध्यम से अपने खाते का विभाजन एनेक्जर 'ए' के अनुसार करवाने की मांग की है। वादी को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तुत दावा में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा चाहे गये अनुतोष पर दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं होने पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने सीधे बहस सुनने का निवेदन किया जिस पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने बहस में जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की शामलाती कृषि भूमि है जिसका बाहमी तौर से विभाजन हो चुका है एवं उसी अनुसार मौके पर वादी एवं प्रतिवादी काश्त करते हैं। वादी ने मौके पर कब्जा काश्त को दर्शित करते हुए दावा के साथ एनेक्जर 'ए' पेश किया है। वर्तमान में उक्त एनेक्जर 'ए' के अनुसार खाता विभाजन किये जाने में वादी व प्रतिवादी सं. 1 सहमत हैं। अतः उक्त एनेक्जर 'ए' के अनुसार दावा स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ने भी वादी द्वारा प्रस्तुत एनेक्जर 'ए' के अनुसार दावा डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर करते हुए दावा व काउण्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

वकील उभयपक्ष को सुना जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेज मय एनेक्जर 'ए' का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया। दावा पर पेश दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 ग्राम देपालसर के ख.नं. 431/106 तादादी 1.0623 हैक्टेयर व ख.नं. 433/136 तादादी 1.9602 हैक्टेयर में वर्तमान में वादी गोविन्द पुत्र सुगनाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट निवासी श्योपुरा खातेदार व प्रतिवादी सं. 1 राकेश पुत्र सुगनाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट निवासी श्योपुरा खातेदार की खातेदारी में अंकित है। वादी द्वारा वादगत कृषि भूमि के ख.नं. 431/106 व ख.नं. 433/136 के नक्शों की नकल दावा के साथ पेश की है। वादी द्वारा दावा के साथ पेश एनेक्जर 'ए' का भी अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वादगत कृषि भूमि ख.नं. 431/106 व ख.नं. 433/136 के मध्य से कटानी रास्ता गुजरने से अलग अलग खसरे कायम हुए हैं परन्तु उक्त दोनों खसरे पास–पास स्थित हैं। उक्त दोनों खसरों में उत्तरी हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 राकेश का तथा दक्षिणी हिस्सा वादी गोविन्द का होना दर्शित किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 उक्त एनेक्जर 'ए' में दर्शितानुसार अपना–अपना खाता विभाजन करवाने में सहमत हैं।

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा मय दस्तावेजात मय एनेक्जर 'ए' एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा पेश काउण्टर क्लेम के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी की शामलाती कृषि भूमि का बाहमी विभाजन होकर खातेदारों का मौके पर अलग–अलग कब्जा काश्त है परन्तु उक्त कृषि भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है इसलिए वादी ने मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर खाता विभाजन करवा कर अलग खाता व लगान कायम करवाने हेतु यह दावा पेश किया है तथा कब्जा काश्त दर्शित करते हुए एनेक्जर 'ए' पेश किया है। प्रतिवादी सं. 1 को दावा पर कोई आपत्ति नहीं है तथा उसने काउण्टर क्लेम पेश कर एनेक्जर 'ए' के अनुसार ही अपने खाते का विभाजन करने की मांग की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

है जिस पर वादी को कोई आपत्ति नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा एनेक्जर 'ए' में अंकित आसापासा के अनुसार दावा अन्तिम रूप से डिक्री करने में सहमति प्रकट की है। वादगत कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/2, 1/2 हिस्सा खातेदारी का है तथा वादी एवं प्रतिवादी मौके पर अपने–अपने हिस्सों पर काबिज हैं, इसलिए नियमानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज खातेदारी के 1/2, 1/2 हिस्से की भूमि का एनेक्जर 'ए' के आधार पर खाता विभाजन करवा कर खाता व लगान अलग–अलग कायम करवाने का अधिकारी है। अतः लोक अदालत की भावना से दावा वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी सं. 1 स्वीकार किया जाकर एनेक्जर 'ए' के अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना हम न्यायोचित मानते हैं।

निर्णय

अतः लोक अदालत की भावना से वादी द्वारा पेश दावा एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा पेश काउण्टरं क्लेम स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत ख.नं. 431/106 तादादी 1.0623 हैक्टेयर व ख.नं. 433/136 तादादी 1.9602 हैक्टेयर वाके रोही देपालसर तहसील व जिला चूरू में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का खाता विभाजन एनेक्जर 'ए' में दर्शितानुसार किया जाकर खाते व लगान निम्नानुसार अलग–अलग कायम करने का आदेश दिया जाता हैं:–

क्र. सं.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म भूमि
1.	गोविन्द पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी श्योपुरा खातेदार	431/106 मी.	0.5312	बारानी
		433/136 मी.	0.9800	बारानी
		किता–2	1.5112	बारानी
2.	राकेश पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी श्योपुरा खातेदार	431/106 मी.	0.5311	बारानी
		433/136 मी.	0.9801	बारानी
		किता–2	1.5112	बारानी

दावा के साथ प्रस्तुत एनेक्जर 'ए' भविष्य में दावा का भाग माना जावेगा। तहसीलदार, चूरू को निर्णय व डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:55 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

गोविन्द पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

<u>बनाम</u>

1. राकेश पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए.

मुकदमा नं. 22 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व श्री सिकन्दर खान एडवोकेट प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

लोक अदालत की भावना से वादी द्वारा पेश दावा एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा पेश काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत ख. नं. 431/106 तादादी 1.0623 हैक्टेयर व ख.नं. 433/136 तादादी 1.9602 हैक्टेयर वाके रोही देपालसर तहसील व जिला चूरू में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का खाता विभाजन एनेक्जर 'ए' में दर्शितानुसार किया जाकर खाते व लगान निम्नानुसार अलग–अलग कायम करने का आदेश दिया जाता हैं:–

क.सं.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे. में	किस्म
1.	गोविन्द पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी श्योपुरा खातेदार	431/106 मी.	0.5312	बारानी
		433/136 मी.	0.9800	बारानी
		किता–2	1.5112	बारानी
2.	राकेश पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी श्योपुरा खातेदार	431/106 मी.	0.5311	बारानी
		433/136 मी.	0.9801	बारानी
		किता–2	1.5112	बारानी

दावा के साथ प्रस्तुत एनेक्जर 'ए' [illegible] दावा का भाग माना जावेगा। तहसीलदार, चूरू को निर्णय व डिक्री के अनुसार राज[illegible] अभि[illegible] में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:55 IST
Reason: SelfAttested

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदा[illegible] से आज दिनांक 16 माह मार्च सन् 2022 को जारी की गई।

(राहुल सैनी)

उपखण्ड अधिकारी, चूरू